

मध्य प्रदेश शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-13/2020 / पी-1/31  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल ।


विषय - "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बावत्- श्री नारायण प्रसाद कोरी, से0नि0 अधीक्षण यंत्री ।


—00—

श्री नारायण प्रसाद कोरी, अधीक्षण यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दि. 31.10.2020 से सेवा निवृत्त हुये ।

विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री नारायण प्रसाद कोरी से. नि. अधीक्षण यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है । श्री नारायण प्रसाद कोरी सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे है ।


अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री नारायण प्रसाद कोरी, से0नि0 अधीक्षण यंत्री के पक्ष में "न मांग न जांच " प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

  
(प्रमोद कुमार खर) 28/11/20  
अवर सचिव

 मध्य प्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28/11/2020

पृ0क्रं0-एफ-19-13/2020 / पी-1/31  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, राज घाट नहर परियोजना दतिया म0प्र0 ।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी.....
3. संबंधित अधिकारी श्री नारायण प्रसाद कोरी, से0नि0 अधीक्षण यंत्री (हाल-प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल ।)
4. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु ।
5. स्टाक पंजी ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
अवर सचिव 28/11/20  
मध्य प्रदेश शासन,